18/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील याची अथवा प्रार्थी की ओर से कोई उप० नहीं है। इतवार इन्तजार किया जा चुका है। पक्षकार के अभाव में प्रकरण पैरवी के चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण पैरवी अदम खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2025.01.03 11:40:52 IST
Reason: SelfAttested